

प्रेषक,  
निदेशक (शैक्षणिक),  
विहार विद्यालय परीक्षा समिति,  
पटना-17

सेवा में,  
प्राचार्य / प्राचार्या,  
संत पौल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,  
वीर सिंहपुर, समस्तीपुर।

पटना, दिनांक २६.९. / २०१७

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,  
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर उड़ीसा के ERCAAPP2375, दिनांक 02.05.2016 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :—

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
  2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
  3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठ्क्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका-2 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्धारित मापदण्डों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
  4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम् 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
  5. विहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
  6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
  7. संस्था विधिवत् रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।

(2)

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
  9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आसेप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
  10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
  11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
  12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
  13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
  14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
  15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक बैंकसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
  16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1420 पटना, दिनांक 26/9/2017  
 प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERCC NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आक्त सचिव एवं सचिव के आक्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1420 पटना, दिनांक 26/9/2017  
 प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाजसुरक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,  
संत पौल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,  
वीर सिंहपुर, समस्तीपुर।

विषय : डी.एल.एड. कोर्स के संचालन हेतु प्रदत्त की गयी सम्बद्धता पत्र में शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि :-

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिनको डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदत्त किया गया है, को निदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2SSC 617 में पारित न्यायादेश में उल्लेखित शर्तों को दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे और सम्बद्धता पत्र में उल्लेखित शर्तों के अधीन कार्य भी करेंगे।
- माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं सम्बद्धता शर्तों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों की परीक्षा का संचालन समिति द्वारा नहीं किया जाएगा। महाविद्यालयों को विशेष रूप से स्मारित किया जाता है कि शर्तों की अवहेलना सम्बद्धता वापस करने हेतु अपरिहार्य होगा।
- माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2SSC 617 में पारित न्यायादेश के आलोक में निश्चित की गयी समय-सारणी का अनुपालन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा करना होगा। न्यायादेश की प्रासंगिक कण्ठिका अनुपालनार्थ निम्नवत् है :

2. In College of Professional Education v. State of U.P. 1 this Court recorded that for the academic year 2012-2013 and subsequent academic years, the institutions and the State Government have arrived at a broad consensus regarding the procedure and terms and conditions of admission, recognition and affiliation. The terms and conditions which have been agreed upon and had received the approval of the Court were noticed in great detail in that judgment. For the academic year 2012-2013 and subsequent years, the following schedule for admission was provided:

I.	Publication of advertisement	- 01.02.2011
II.	Sale of application forms and their submission	- 10.02.2012 to 10.03.2012
III.	Date of entrance examination	- 20.04.2012 to 25.04.2012
IV.	Declaration of result	- 25.05.2012 to 30.05.2012
V.	Commencement and completion of counseling	- 01.06.2012 to 25.06.2012
VI.	Last date of admissions after counseling	- 28.06.2012
VII.	Commencement of academic session	- 01.07.2012

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में निर्धारित की गयी उपरोक्त कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष के लिए लागू होगा।

91.1 The Schedule stated in College of Professional Education 1 and in this judgment in relation to admission, recognition, affiliation and commencement of courses shall be strictly adhered to by all concerned including NCTE, the State Government and the University/examining body.

91.2 In the event of disobedience of schedule and /or any attempt to overreach or circumvent the judgment of this Court and the directions contained herein, the person concerned shall render himself or herself liable for proceedings under the Contempt of Courts Act, 1971 and even for departmental disciplinary action in accordance with law.

- शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायादेश एवं सम्बद्धता शर्तों की अवज्ञा की स्थिति में समिति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु NCTE को प्रतिवेदित करेगा।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक) X-17

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17